

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 885/2024

अनवान : -

1. वेदप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
2. छोटुराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।

- वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र जिन्दूराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
2. विनोद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
3. कौशल्या पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
4. सत्यबाला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
5. रचना देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
6. जमना देवी पुत्र जिन्दुराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
7. अमीलाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
8. पृथ्वीराज पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
9. शिशपाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
10. विमला देवी पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
11. विद्या देवी पत्नी हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक:-21/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 334/334 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि वादी स0 2 व 7 ता 11 प्रत्येक, 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि बतौर हिन्दु कर्ता खानदान प्रतिवादी संख्या 1 व 6 में दर्ज है वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के

पंकज गढ़वाल
अधिकारी
नोहर

साथ बहिब के खातेदार है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 10 ता 11 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 ता 9 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीयां है। प्रतिवादी संख्या 6 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2, 7 ता 9 की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 व 10 व 11 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 334/334 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 के नाम 1/6 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम 1/6 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम 1/18 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम 1/18 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि बतौर हिन्दु कर्ता खानदान प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के नाम दर्ज है वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के साथ

बहिब के खातेदार है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 10 ता 11 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 ता 9 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीयां है। प्रतिवादी संख्या 6 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2, 7 ता 9 की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 व 10 व 11 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 334/334 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 के नाम 1/6 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम 1/6 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम 1/18 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम 1/18 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 334/334 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि वादी स0 2 व 7 ता 11 प्रत्येक, 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 334/334 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व

प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को बहिब 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को बहिब 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को बहिब 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 885/2024

अनवान : -

1. वेदप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
2. छोटुराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।

- वादीगण

बनाम्


1. रामचन्द्र पुत्र जिन्दूराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
2. विनोद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
3. कौशल्या पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
4. सत्यबाला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
5. रचना देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
6. जमना देवी पुत्र जिन्दुराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
7. अमीलाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
8. पृथ्वीराज पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
9. शिशपाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
10. विमला देवी पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
11. विद्या देवी पत्नी हेमराज जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर हाल बशीर तहसील टिब्बी।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 885 सन 2024 निर्णय दिनांक - 21/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगीलाल देहडू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स० 334/334 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स० 1 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स० 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को बहिब 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को बहिब 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को बहिब 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर